न्यायालय ....मुण्डावर
.............नकल

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 70/21 दायरा दिनांक :–26.02.2021 निर्णय दिनांक :– 09.03.2021

1. बिरदीचन्द
2. सत्यप्रकाश उर्फ सत्यनारायण
3. सुभाषचन्द
4. आनन्द
5. अभय पुत्रान बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासीयान जिन्दोली तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादीगण

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– श्री रणवीर सिंह यादव– वकील वादीगण

–:निर्णयः–

दिनांक :– 09.03..2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाये उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 319/1.02, 374/0.88 है0 वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी एवम उक्तानुसार हाल आ0ख0न0 319 साबिक ख0न0 231 से एवम हाल आ0ख0न0 374 साबिक ख0न0 260 से पैमूद हुये है। ख0न0 330 भी उक्त ख0न0 के साथ वादीगण [illegible] परंतु उसे वादीगण के पिता ने दीगर व्यक्ति को विक्रय कर दिया था इसलिए व[illegible] श[illegible] नहीं किया गया है। आराजी मुतनाजा बिश्वेदारी की आराजी रही है जिस पर वादी के [illegible] प्रसाद अर्सा करीब 75 सालों से काबिज व दखील रहे है जिसके बाबत पिता [illegible] नाम का अमल संवत 2010 की जमाबंदी में गैर मोरूसी साल साथ का इन्द्राज हो रहा है एवम आराजी मुतनाजा कस्टोडियन आराजी नहीं है। पिता बद्रीप्रसाद स्वयं काश्त करते थे [illegible] सामलाती परिवार होने के कारण वादीगण के चाचा, ताउ का भी आराजी में इन्द्राज हो गया था परंतु मौका एवम कब्जा के आधार पर भू प्रबंध विभाग ने संवत 2029 में वादी के पिता के नाम लगान पर्चा जारी किया और पिता के नाम गैर खातेदारी का अंकन किया गया था। दौराने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

भूप्रबंध खसरा गिरदावरी में बटाईदार सुन्दरलाल पुत्र हेमला चमार के नाम का इन्द्राज हो गया था जो वादीगण के पिता व सुन्दरलाल का राजीनामा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड के समक्ष दिनांक 23.07.1970 को हो गया और जरिये राजीनामा सुन्दरलाल का नाम हजफ किया गया एवम आराजी मुतनाजा में वादीगण के चाचा ताउ का नाम अनाराजीयात के साथ दर्ज हो गया था एवम दीगर आराजी सामलाती थी जिसके साथ–साथ विवादित आराजी में जगन, प्रभूदयाल आदि का नाम दर्ज हो जाने के बाबत की अपील वादीगण ने न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने पेश की जो अपील स्वीकार की गयी और तहसीलदार मुण्डावर को पूर्व का इन्तकाल संख्या 415 निरस्त किया जाकर पुनः इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज किया जाने के आदेश हुये। उपरोक्त निर्णय दिनांक 17.07.2017 की पालना में श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर ने दिनांक 05.09.2017 को वादीगण के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये एवम अन्य के नाम तर्क किये जाकर इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज व मंजूर किया गया। आराजी मुतनाजा पर हम वादीगण ही काबिज है। आराजी खानदानी होकर हम वादीगण बहैसियत खातेदार बदस्तूर काबिज चले आ रहे है, आज भी मौके पर काबिज है, वादीगण को खातेदारी अधिकार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ मिल चुके है। आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 319 व 374 में से 0.04 है0 का सरकार द्वारा रास्ता कायम किया जा चुका है जिसके खिलाफ हम वादीगण कोई रिवीजन नहीं चाहते है व रास्ते के रकबे को छोडकर शेष रकबा के लिए अनुतोष चाहते है। आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता के कब्जेकाश्त एवम गैर खातेदारी की आराजी जिस पर वे सन 1945–46 से बदस्तूर, बेरोकटोक काबिज रहे एवम पिता के नाम गैर मौरूसी के इन्द्राज संवत 2010–13 की जमाबंदी व 2014–17 की जमाबंदी में भूप्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेंट का पर्चा में भी पिता के नाम गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है एवम उनकी फौतगी पर वादीगण के नाम विरासत इन्तकाल भी दर्ज व मंजूर हो गया इसलिए आराजी खानदानी होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है का निवेदन करते हुये वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि आ0ख0न0 319/1.02, 374/0.88 है0 वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर में से 0.04 है0 गैर मुमकीन रास्ते की भूमि छोडकर वादीगण के नाम हो रहे गैर खातेदारी के अंकन को हजफ किया जाकर खातेदारी की घोषणा फरमाये जाने एवम उक्तानुसार रिकॉर्ड में खातेदारी के अंकन किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया एवम मुताबिक जवाब दावा वादी के वाद के जिमनों को वादी स्वयं सिद्ध करे आदि का अंकन करते हुये जवाब दावा प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है।

पत्रावली में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः–

1. आया वाद में विवादित आराजी विस्वेदारी की आ[illegible] के पिता राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से काबि[illegible]श्त कर रहे है।
2. आया आराजी मुतनाजा पर वादीगण एवं वादीगण [illegible] पीढी दर पी[illegible] काबिज चले आ रहे है इसलिए बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीग[illegible] करने का मुस्तहक है।
3. आया आराजी मुतनाजा में वादीगण गैर खातेदार चले आ रहे है। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested

२४६

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

4. आया आराजी मुतनाजा पर वादीगण बदस्तूर काबिज चले आ रहे है। मौक पर आज भी काबिज है।
5. अन्य दादरसी।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 17.07.2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी संवत 2010 किता 2 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2014 प्रदर्श–5, श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर के निर्णय दिनांक 05.09.2017 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6, पर्चा लगान भूप्रबंध विभाग प्रदर्श–7, नकल इन्तकाल संख्या 186 प्रदर्श–8 व छायाप्रति जमाबंदी संवत 2032 एवम श्रीमान सहायक भूअभिलेख अधिकारी मुण्डावर के निर्णय दिनांक 30.01.1971 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–9 पेश की है एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बिरदीचन्द पी डब्ल्यू–1, बाबूलाल पी डब्ल्यू–2, केदारनाथ पी डब्ल्यू–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिनका तनकीवार विवेचन निम्नानुसार रहाः–

1. आया वाद में विवादित आराजी बिस्वेदारी की आराजी रही है जिस पर वादीगण के पिता राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से काबिज होकर काश्त कर रहे थे। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है जिसके बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 लगायत 9 बाखूबी साबित पायी जाती है एवम बाद अवलोकन नकल जमाबंदी संवत 2010 में अंकित बद्रीप्रसाद वगै0 वैश्य गैर मौरूसी साल साथ यानी कि संवत 2010 से 7 वर्ष पूर्व से वादीगण के पूर्वज विवादित आराजी पर काबिज चले आ रहे है और इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अंकित वादीगण की आराजी खानदानी आराजी है और वादीगण के पिता का सन 1945 से बदस्तूर काबिज रहना स्पष्ट रूप से साबित पाया जाता है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।
2. आया आराजी मुतनाजा पर वादीगण एवं वादीगण के पूवर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज चले आ रहे है इसलिए बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादीगण खातेदारी प्राप्त करने को मुश्तहक है। इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है और जब तनकी संख्या 1 स्पष्ट रूप से बहक वादीगण पायी जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।
3. आया आराजी मुतनाजा में वादीगण गैर खातेदार चले आ रहे है वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस तनकी को भी साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है एवम जब तनकी संख्या 1 व 2 दोनों ही तनकी स्पष्ट रूप से बहक वादीगण साबित हो चुकी है तो उक्त तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।
4. आया आराजी मुतनाजा पर वादीगण बदस्तूर काबिज चले आ रहे है। मौक पर आज भी काबिज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है तथा तनकी संख्या 1 लगायत 3 बहक वादीगण साबित पाये जाने की स्थिति में पत्रावलियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा नकल जमाबंदी संवत 2004 किता 2 प्रदर्श–4 के अनुसार वादीगणों का पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज पाया जाना एवम मौके पर आज भी काबिज पाये जाने वाले बिन्दु को भी यह न्यायालय बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

5. अन्य दादरसी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 लगायत 4 बहक वादीगण स्पष्ट रूप से साबित पाये जाने एवम पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन अनुसार भी वादीगण का आज दिन कब्जा नहीं होने के बाबत का कोई अंकन नहीं होना एवम विवादित आराजी का कस्टोडियन आराजी होना अथवा नहीं होना वाला प्रश्न भी वादी के वाद के जिमन नंबर 3 में अंकित किया जाना कि आराजी मुतनाजा कस्टोडियन नहीं है स्पष्ट रूप से कस्टोडियन आराजी नहीं होनी पायी जाने की स्थिति में व केवल मात्र वादी स्वयं सिद्ध करे व जवाब के जिमन नंबर 8 के अनुसार खातेदारी घोषणा किया जाना कानूनी है। आदि–आदि के अंकन से भी वादीगण के वाद को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य एवम मौखिक साक्ष्यानुसार वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को साबित कर दिये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात के आधार पर साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के आराजी खसरा नंबर 319 रकबा 1.02, 374 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान में से गैर मुमकीन रास्ते में प्रयुक्त होने वाले रकबे 0.04 हैक्टेयर को कम करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है तथा गैर मुमकीन रास्ते का रकबा 0.04 हैक्टेयर कम किया जाकर खसरा नंबर 319 व खसरा नंबर 374 वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम इसी अनुरूप पूर्व में वादीगण के नाम के बाबत गैर खातेदारी के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

9.3.21

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर) राज०

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर) राज०

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज०

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0

पीठासीन अधिकारीः— रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.— 70/21 दायरा दिनांक :—26.02.2021 निर्णय दिनांक :— 09.03.2021

1. बिरदीचन्द
2. सत्यप्रकाश उर्फ सत्यनारायण
3. सुभाषचन्द
4. आनन्द
5. अभय पुत्रान बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासीयान जिन्दोली तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

.........वादीगण

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

.........प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादीगण की ओर से **श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वादे में **आज दिनांक 09.03.2021** को **श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और पर्चा डिक्री दी जाती है** :—

अतः वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं वादीगण के आराजी खसरा नंबर 319 रकबा 1.02, 374 रकबा 0.88 हैक्टेयर वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान में से गैर मुमकीन रास्ते में प्रयुक्त होने वाले रकबे 0.04 हैक्टेयर को कम करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है तथा गैर मुमकीन रास्ते का रकबा 0.04 हैक्टेयर कम किया जाकर खसरा नंबर 319 व खसरा नंबर 374 वाके ग्राम जिन्दोली तहसील मुण्डावर के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवम इसी अनुरूप पूर्व में वादीगण के नाम के बाबत गैर खातेदारी के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। [illegible] खर्चा [illegible] वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे [illegible] **जाकर** [illegible] **हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.07.29 13:18:04 IST
Reason: SelfAttested

9.3.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर
जिला अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0